

नोटिस दिनांक 20.03.2020

प्रकरणों से संबंधित समस्त पक्षकारगण व सम्मानीय अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव से निवारण संबंधी जारी की गई एडवायजरी, दिनांक 20.03.2020 तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 20.03.2020 के पालन में न्यायालय, निधु श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सागर के न्यायालय में दिनांक 23.03.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान व्यवहार वाद प्रकरणों में नियत की गई पेशी निम्नानुसार है—

क्रमांक	पूर्व से नियत पेशी दिनांक	पूर्व से नियत मामलों की संख्या	बढ़ाई गई अगली पेशी दिनांक
1	23.03.2020	06 प्रकरण	15.04.2020
2	24.03.2020	05 प्रकरण	16.04.2020
3	26.03.2020	10 प्रकरण	20.04.2020
4	27.03.2020	10 प्रकरण	22.04.2020
5	28.03.2020	0 प्रकरण	—
6	30.03.2020	06 प्रकरण	23.04.2020
7	31.03.2020	03 प्रकरण	24.04.2020

संबंधित पक्षकारगण/अधिवक्तागण अपने मामलों में अब केवल बढ़ाई गई पेशी तारीख ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। पूर्व से नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। उपस्थित न होने के आधार पर पक्षकारगण के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल/एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की जायेगी। केवल नोटिस बोर्ड पर आगामी तारीख देखकर नोट करने का कष्ट करें।


निधु श्रीवास्तव
न्यायिक मजिनिधु श्रीवास्तव
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सागर
सागर (म.प्र.)

नोटिस दिनांक 20.03.2020

प्रकरणों से संबंधित समस्त पक्षकारगण व सम्मानीय अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव से निवारण संबंधी जारी की गई एडवायजरी, दिनांक 20.03.2020 तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 20.03.2020 के पालन में न्यायालय, निधु श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय में दिनांक 23.03.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान आपराधिक मामलों में नियत की गई पेशी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पूर्व से नियत पेशी दिनांक	पूर्व से नियत मामलों की संख्या	बढ़ाई गई अगली पेशी दिनांक
1	23.03.2020	56 प्रकरण	08.06.2020
2	24.03.2020	44 प्रकरण	09.06.2020
3	26.03.2020	59 प्रकरण	10.06.2020
4	27.03.2020	63 प्रकरण	11.06.2020
5	28.03.2020	20 प्रकरण	03.06.2020
6	30.03.2020	45 प्रकरण	04.06.2020
7	31.03.2020	02 प्रकरण	05.06.2020

संबंधित पक्षकारगण/अधिवक्तागण अपने मामलों में अब केवल बढ़ाई गई पेशी तारीख ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। पूर्व से नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। उपस्थित न होने के आधार पर पक्षकारगण के विरुद्ध न तो वारंट किया जावेगा, न ही एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। केवल नोटिस बोर्ड पर आगामी तारीख देखकर नोट करने का कष्ट करें।

जेल में निरुद्ध बंदियों के संबंध में नियत प्रकरण एवं जमानत प्रकरण एवं अर्जेंट नेजर के प्रकरणों की सुनवाई न्यायालय द्वारा प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे के बीच ही कार्य दिवस पर जारी रहेगी।

निधु श्रीवास्तव
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सागर (म.प्र.)